**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर**

**प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/2271/2005/भरतपुर**

सुन्दर लाल पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी ग्राम वादीपुर तहसील कामां जिला भरतपुर

**....अपीलार्थी/प्रतिवादी**

**बनाम**

1. खचेरा पुत्र मुरली जाति जाट
2. काशीराम पुत्र मुरली जाति जाट
3. हीरालाल पुत्र मुरली जाति जाट
   –समस्त निवासीगण ग्राम वादीपुर तहसील कामां जिला भरतपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला भरतपुर

**....प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण**

**खण्ड पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**
**श्री पंकज नरूका, सदस्य**

**उपस्थितः–**

श्री जे.के.पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मनीष पाण्डया, ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3

**निर्णय**

**दिनांकः– 17–07–2019**

हस्तगत् द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प–डी द्वारा अपील सं. 68/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–04–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर कामां के समक्ष रेस्पोडेन्ट्स/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88, 89, 53, 54 व 188 बाबत ग्राम वादीपुर स्थित वाद पत्र में उल्लेखित विवादित आराजी के संबंध में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वाद चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चे खारिज किया जावे। कालान्तर में दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने दादरसी सहित 4 विवाद्यक कायम करते हुए प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 29-04-2002 से वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी। उक्त आदेश इस आशय के साथ पारित किया गया कि वादीगण को आराजी खसरा संख्या 172, 173, 422 में से 1/2 हिस्से का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का रहेगा। तहसीलदार कामां को लिखा जावे कि वह दोनों पक्षों की मौजूदगी में निस्फ-निस्फ हिस्सा आराजी खसरा संख्या 415/0-47, 421/0-21, 422/0-22, 172/0-47, 173/0-36, 14/0-28, 15/0-23, 16/0-43, 184/0-24, 185/0-25, 186 20-27, 198/0-12, 411/0-40 किता 13 वाके ग्राम वादीपुर तहसील कामां के विभाजन कुरा मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में भिजवाये। पर्चा डिक्री नियमानुसार तैयार कर शामिल फाईल किया जावे। उपजिला कलक्टर एवं पदेन सहायक जिला कलक्टर कामां द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29-04-2002 के विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प-डीग के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-04-2015 द्वारा खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कथन किया कि दोनों न्यायालयों ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया कि खसरा संख्या 178/02, 179 मिन व खसरा संख्या 422 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की है जो पूर्वजों की सम्पत्ति है, इस बाबत विचारण न्यायालय ने कोई तनकी नहीं बनायी। जबकि इस पर तनकी बनायी जानी अत्यधिक आवश्यक थी तथा इन नम्बरों के बाबत भी निस्फ–निस्फ के दोनों पक्षों को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक था। आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने आराजी खसरा संख्या 422 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया है, इस तथ्य को भी पीडब्ल्यू–1 हीरालाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है, इसके उपरान्त भी दोनों न्यायालय ने खसरा संख्या 422 के बारे में निर्णय कर अनियमितता की है। जबकि खसरा संख्या 172 व 173 प्रतिवादी की अकेले की खातेदारी में है तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 422, 178, 179 मिन है इसलिए विभाजन में खसरा संख्या 172, 173 व 422 शामिल नहीं करना चाहिए था। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में नामान्तरकरण संख्या 146 का उल्लेख किया है और इसके आधार पर खसरा संख्या 172 व 173 जो अपीलान्ट की अकेले की खातेदारी का है को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की सम्मिलित सम्पत्ति मानकर भारी कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है, जबकि वादी रेस्पोडेन्ट की वाहिद खातेदारी खसरा संख्या 178, 179 व 422 रहे है। उनका यह भी तर्क है कि वादी का दावा रेसज्यूडिकेटा से बाधित है क्योंकि वादी द्वारा पूर्व में अक्टूबर 2000 में खातेदारी का दावा पेश किया गया, जिसके बाद में पुनः खातदेारी का दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इस कारण वादी का वाद खारिज होने योग्य है। उनका आगे तर्क है कि वादी ने जिन कथनों पर दावा पेश किया है, उसको उसने दस्तावेज व मौखित साक्ष्यों से साबित नहीं करवाया है। उनका आगे यह भी तर्क है कि मुरली व बिहारी के बीच बंटवारा पूर्व में हो चुका है तथा वे दोनों बंटवारे के अनुसार अलग–अलग खसरा नम्बर पर काबिज काश्त चले आ रहे है, जिसके बाद उनके वारिस उन खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है। उनका यह तर्क है कि जब पूर्वजों के समय से ही आराजी का बंटवारा हो चुका था और वादी बंटवारे को मान रहा है और पूर्व में

विभाजन होना भी वादी द्वारा स्वीकार किया जा रहा है तो पुनः नया दावा प्रस्तुत करना त्रुटिपूर्ण है। सारांशतः मामले में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड के परे जाकर अपने निर्णय व डिक्री पारित किए है जो कि इस द्वितीय अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-04-2005 व उपजिला कलक्टर एवं पदेन सहायक जिला कल्क्टर कामां द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-04-2002 को अपास्त करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का मूल वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत विद्वान रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को सारहीन होना कथित किया है तथा बताया कि इसी आराजी बाबत पूर्व में दावा दायर किया गया था, लेकिन उनके निवेदन पर न्यायालय ने उनके दावे को विड्रा करके नया वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट पक्षकार संयोजित नहीं होने के कारण हस्तगत वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित नहीं है। उनका कहना है कि विवादित आराजी के बंटवारे बाबत वादी ने कभी अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है। यहीं सही है कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते है। अतः वादी विवादित आराजी का नियमानुसार बंटवारा कराने की अधिकारिता रखते है। उनका तर्क है कि संयुक्त खाते की आराजी पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच भूमि पर अपना कब्जाकाश्त होता है। उनका तर्क है कि वादीगण के पिता मुरली व प्रतिवादी के पिता बिहारी सगे भाई थे जो उमराव के लडके है तथा उनके देहान्त के बाद आराजी अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट के पिताओं के नाम दर्ज हुई। इसके अतिरिक्त उमराव के देहान्त के बाद उसके दोनों पुत्रों बिहारी व मुरली के नाम दर्ज हुई तथा उसके देहान्त के बाद दोनों पक्ष अपनी-अपनी आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत पारित किए जाने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में

उन्होंने अपीलार्थी की इस द्वितीय अपील को खारिज करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

7. प्रस्तुत द्वितीय अपील में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादी का वर्तमान वाद पूर्वनिर्णयन के सिद्धान्त से बाधित है अथवा नहीं? उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार यह परिलक्षित होता है कि पक्षकारान में लिखित में आराजी का कोई बंटवारानामा नहीं हुआ है। जहां तक पूर्व दावे का प्रश्न है दिनांक 02-02-2001 को वादी ने उक्त दावे को विड्रा कराने व पुनः दूसरा नया दावा पेश करने की अनुमति प्राप्त की है। जिस पर वादी का दावा विड्रा हुआ है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वादी के वाद का विधिवत निस्तारण नहीं हुआ है तथा उक्त वाद में भी अपीलार्थी पक्षकार संयोजित नहीं होने के कारण वादी का वर्तमान वाद रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित होना नहीं माना जा सकता है। इस बाबत अपीलार्थी पक्ष द्वारा लिया आक्षेप निराधार पाया जाता है।

8. पत्रावली से प्रकट होता है कि वादी/रेस्पोडेन्ट के आलोच्य वाद में विचारण न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 विवाद्यक किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए वादी के वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है। नकल जमाबंदी सम्वत 2021-2024 व नामान्तरकरण संख्या 146 का अवलोकन करने से स्पष्ट होता आराजी मुतनाजा वादीगण के पिता व प्रतिवादी के पिता की निस्फ-निस्फ कब्जेकाश्त की आराजी थी। सम्वत 2054-2057 की जमाबंदी से स्पष्ट होता है कि वर्तमान खाता संख्या 21 व 219 में आराजी खसरा संख्या 415, 421, 422, 172 व 173 का इन्द्राज पूर्व रेकार्ड व वादीगण के कथनों के विपरीत दर्ज है, जिसे कलमजन किया जाकर निस्फ हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना

समीचीन है। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 415, 421 का अंकन वादीगण व प्रतिवादी का निस्फ–निस्फ हिस्सा के किया हुआ है, अतः इन खसरा नम्बरान पर किसी प्रकार के विवेचन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आराजी संख्या 422 सालिम वादीगण के हिस्से में तथा खसरा संख्या 172, 173 सालिग प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज है। उक्त तीनों खसरा नम्बरान में वादीगण प्रतिवादी के निस्फ–निस्फ हिस्से की खातेदारी दर्ज होना चाहिए था, इसलिए वादीगण का आराजी खसरा संख्या 422, 172 व 173 में निस्फ हिस्से पर वादी को खातेदार घोषित करने के विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से यह न्यायालय से सहमत है। वादीगण आराजी मुतदाविया के निस्फ–निस्फ हिस्से के खातेदार काश्तकार है, जिनका मौके पर विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, अतः अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के कुरा बनाये जाकर पृथक–पृथक खाता एवं लगान अधिरोपित किया जाना उचित है। स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की निस्फ–निस्फ हिस्से की आराजी होने के कारण काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत पक्षकारान विधिवत विभाजन कराने के अधिकारी है। यदि वर्तमान अपीलार्थी विवादित आराजियात में किसी प्रकार का अनुतोष पाना चाहते है तो उन्हें आराजी के बाबत अपने पक्ष का राजस्व रेकार्ड पेश करते हुए उन्हें विधिनुसार अपना प्रतिदावा पेश कर अनुतोष पाना चाहिए था। जिसका कि प्रकरण में अभाव है।

9. उपलब्ध रेकार्ड तथा उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस के परिप्रेक्ष्य में मामले में विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए अभिमत से यह न्यायालय पूर्ण रूप से सहमत है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए अभिमत के विपरीत कोई अन्य नवीन तथ्य अपीलार्थी द्वारा इस द्वितीय अपील के माध्यम से हमारे समक्ष पेश नहीं किए गये है, जिसके आधार पर आक्षेपित विधि सम्मत निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित हो। तदनुसार हमारी विनम्र राय में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत पारित किए जाने के कारण उसमें द्वितीय अपील के स्तर

पर किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण हमारे समक्ष नहीं है।

10. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। विधि सम्मत समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाना समीचीन प्रतीत होता है।

12. परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–04–2002 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(पंकज नरूका)**
**सदस्य**

**(प्रवीण गुप्ता)**
**सदस्य**